FORUM FOR PRESIDENTIAL DEMOCRACY

B-145/146, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai 400 021
Tel nos.: 9122 6615 0505-07 Fax: 91 22 2283 5149
E-mail : info@presidentialdemocracy.org
Website: www.presidentialdemocracy.org

दिनांक : 22 MAR 2012

मान्यवर संपादक महोदय,

सप्रेम अभिवादन!

कई कमीयों की वजह से जनता में वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की ओर से लगातार निराशा व असंतोष बढ़ रहा है। ये मानी हुई हकीकत है कि हमारी वर्तमान राजकीय व्यवस्था ने ऐसे खुद का स्वार्थ साधनेवाले राजनेताओं की घृणित कौम पैदा की है जिन्होंने लोगों के कल्याण को अनदेखा कर दिया है। प्रस्तुत व्यवस्था ने चुनाव में संदिग्ध धन संग्रह के नित्य नवीन तरीके, राजनीति का अपराधी करण राजनेताओं व सरकारी अफसरों का अनियंत्रित भ्रष्टाचार (जो अब आकाश छू रहा है) को जन्म दिया है। राज्य व केन्द्र में सरकारों की लगातार अस्थिरता, मंत्रीमंडल में बारंबार फेर बदल, विश्वसनीय नेताओं की कमी आदि से वर्तमान व्यवस्था में लोगों का विश्वास डगमगा गया है।

हमारी वर्तमान संसदीय प्रणाली के एवज में यू.एस.ए., जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों के संविधान का अध्ययन करने पर ये ज्ञात होता है कि हमारे देशके बेहतर शासन के लिये राष्ट्रप्रमुख द्वारा संचालित लोकतंत्र प्रणाली ही कुछ संशोधनों के साथ उचित साबित होगी।

उपरोक्त पद्धति के कई फायदे हैं जिनका सविस्तर उल्लेख संलग्न अंग्रेजी लघुपुस्तिका में है। पर उन फायदों मे सर्वोच्च है सरकार की स्थिरता जो कि आजकी आयाराम गयाराम की राजनीति में असंभव लगती है।

इस संबंध मे फोरम फॉर प्रेसिडेन्सीयल डेमोक्रेसी ही ऐसा एकमात्र पंजीकृत राजनैतिक दल है जिसके सुस्पष्ट घोषणापत्र में हमारे देश के सुशासन हेतु प्रमुखीय लोकतंत्र ही एकमात्र प्रणाली है ये प्रतिपादित किया गया है।

वर्तमान व्यवस्था में आवश्यक बदलाव लाने के लिए व जनजागृति के लिये ये आवश्यक है कि जनआंदोलन चलाकर जनजन को इस बारे में आश्वस्त किया जाय कि अंकुश व संतुलन युक्त प्रमुखीय लोकतंत्र ही देशहित में है। कृपया अपने प्रतिष्ठित पत्र में इस विषय को उचित स्थान देकर जनचेतना को जगाने में हमें सहयोग देकर इस राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति में सहभागी बनें।

धन्यवाद!

भवदीय

जशवंत बी. मेहता

जशवंत बी. मेहता
संस्थापक – संयोजक
फोरम फॉर प्रेसिडेन्सीयल डेमोक्रेसी

संलग्न:
१) अंग्रेजी लघुपुस्तिका
२) लघुपुस्तिका का हिन्दी अनुवाद

KINDLY SEND A COMPLIMENTARY
COPY IF THE MATTER IS PUBLISHED

A Political Party registered u/s. 29 A of the Representation of the Peoples Act 1951, Individual / Company donations are fully exempted u/s. 80 GGC of I.T. Act and u/s. 80 GGB of It Act. respectively.

Scanned with ACE Scanner

भारत की जनता ऐसे सुशासन के लिए उत्सुक है जो कि अनियंत्रित व दूर तक फैले हुए भ्रष्टाचार से मुक्त हो ।

- अन्नाजी के आंदोलन ने वो चिंगारी प्रदान की है जिसने जलने की राह देख रही आग को प्रज्वलित कर दिया है ।

- जैसा कि लोकपाल के बारे में विचारा गया है वो स्वागत योग्य है पर हमें ऐसी शासन पध्दति लाने का प्रयत्न करना होगा जो कि पध्दति का इलाज करने के बदले रोग का ही इलाज कर दे।

- समय आ गया है कि हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के बंधन से मुक्त हो जायें जिसने दुर्भाग्यपूर्ण कारनामो से देश को शर्मिन्दा किया है।

- आईये हम ऐसी शासन पध्दति को ही बदल दें जो कि ईमानदार स्पष्ट वक्ता प्रधानमंत्री को भी मूकदर्शक बनाकर, कुशासन द्वारा जनित घोटोलो के कारण, लालची राजनेताओं के लिये वास्तव में देश को लूटने के अवसर प्रदान करे ।

- आईये हम ऐसी शासन पध्दति अपनायें जो कि सरकार के सर्वोच्च पद पर, ईमानदार योग्य व्यक्ति को सीधे चुनने का अधिकार जनता को दे। ऐसा चुना गया व्यक्ति ऐसे व्यावसायिक/प्रबुद व्यक्तित्वो को मंत्री मंडल में शामिल कर सकेगा जिनको राजनीति में किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ न हो ।

- राष्ट्रप्रमुख द्वारा चालित सही प्रजातंत्रीय प्रणाली जिसमें उचित अंकुश व संतुलन बना रहता हो, समय की माँग है ।

- कई अग्रगण्य प्रमुख व्यक्तित्वों ने समय समय पर इस परिवर्तन की वकालत की है ।

जिनमें प्रमुख है :

प्रसिध्द कानून विदःस्व श्री नानी पालखीवाला

भारतीय उद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व : स्व. श्री जे.आर.डी.टाटा

- प्रसिध्द सरकारी सेवक : स्व. श्री बी.के. नेहरु
- गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री : स्व. श्री बाबुभाई पटेल व अन्य कई व्यक्तित्व।

हम कब इसे कार्यान्वित कर सकेंगे ? ।

"फोरम फॉर प्रेसिडेन्शीयल डेमोक्रेसी" एक पंजीकृत राजनैतिक पक्ष जो कि देशहित में काम करने के लिए प्रतिबध्द है बी–१४५/१४६ मित्तल टॉवर, नरीमन पॉईन्ट, मुंबई–४०० ०२१, फेक्स : ९१२२२२८३५१४९ Email : info@presidentialdemocracy.org.

"प्रेसिडेन्शीयल डेमोक्रेसी नीड ऑफ दि अवर" श्री जशवंत बी. मेहता (इस पक्ष के संस्थापक संयोजक) की किताब की प्राप्ति हेतू व विषय का मजबूत प्रतिपादन करने व सदस्यो की भर्ती हेतू संपर्क करें हमारी वेबसाईट : www.presidentialdemocracy.org.

Scanned with ACE Scanner

"प्रमुखीय लोकतंत्र .... स्वार्थी व्यावसायिक राजनीतिज्ञों से देश को छुटकारा दिलायेगा, प्रस्तुत शासन पध्दति से बेहतर स्थिरता लाकर राष्ट्रीय एकता में मदद देते हुए मंत्रीमडल मे प्रतिभावान व्यक्तियों को शामिल करना संभव करेगा।"

स्व. श्री जे.आर.डी.टाटा
प्रतिष्ठित उद्योगपति

"ये मेरा संपूर्ण विश्वास है कि, "प्रमुखीय लोकतंत्र जैसा कि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व फ्रांस में है, भारत के लिये बेहतर है न कि वेस्ट मिनीस्टर पध्दति जो कि हमारे देश मे अभी है ।"

स्व. श्री एन.ए.पालखीवाला
प्रतिष्ठित कानूनविद

"मेरा प्रथम प्रस्ताव ये है कि विधान सभाओं को सरकारी शासन से पुर्णतयः अलग किया जाय जिससे कि विधान सभा के किसी भी सदस्य को लाभ का सरकारी पद मिलना असंभव हो जाय जिसमे मंत्री पद भी शामिल हो .... "मेरा द्वितीय प्रस्ताव ये है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो देश का प्रमुख शासक होगा उसे सीधे चुना जायेगा व एक निश्चित अवधि तक पद पर रहेगा व मियाद पुरी होने तक उसको अपदस्थ करना संभव नही होगा सिवाय इसके कि नैतिक दोष के तहत महाभियोग न चलाया जाय ।"

स्व. श्री बी.के.नेहरु
प्रतिष्ठित सरकारी प्रशासक व यु.एस.ए.में भारत के राजदूत और यु.के.में हाई कमिश्नर ।

"हमारी संसदीय प्रणाली एक ऐसी अस्थिरता के युग में प्रवेश कर चुकी है जहाँ जाति व दलगत नेताओ की कृपा पर उसका अस्तित्व अवलंबित है वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री या मुख्य मंत्री का अस्तित्व संसद सदस्यों व विधानसभा के सदस्यों के समर्पन पर आधारित है । प्रमुखीय लोकतंत्र में राष्ट्रपती का चयन पूरे देश के मतदाताओं पर आधारित है और एक निश्चित अवधि तक पद पर सुरक्षित है । इस लिए सरकार से कोई भी सिध्दन्ताहीन समझौता नही होगा ।"

स्व.श्री चीमनभाई मेहता
भुतपूर्व केन्द्रीय मंत्री

"दो मूलभूत तत्व जिनकी हमे असरदार आवश्यकता है – एक मजबूत निपुण शासन विशेष रुप से केन्द्र में जरुरी है जिसमें जनता में निरंतर लगाव व ऐसी भावना पैदा हो कि शासन पध्दति जनता के लिये उत्तरदायी है । इसमें से पहले उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमारे संविधान में दो परिवर्तन करने होंगे । (i) शासन के मुखिया, राष्ट्रपति का सीधा चुनाव (ii) विधान सभा के अंदर या बाहर के व्यक्तिओ को मंत्री बनाने के लिये वो स्वतंत्र हो ।"

श्री अरुण शौरी
प्रतिष्ठित पत्रकार व भूतपुर्व केन्द्रीय मंत्री

"प्रमुख शाही पध्दति पर आपके मत व विश्वास पर हमारी हुई बातचीत का वास्तव में आनंद आया । स्पष्ट रुप में कहूँ तो आपके द्वारा किये गये अद्भूत विश्लेषण में तुलनात्मक गुणों की व्याख्या सुनने के बाद मुझे कहना होगा कि आपके मत की तरफ मै फिर गया हूँ .... मुझे पता चल गया है आपका उद्देश्य शुध्द है ओर आप किसी राजनैतिक फायदे के पीछे नही है बल्कि आप तो राष्ट्रीय आदर्श को बढावा दे रहे है । मुझे आनंदाश्चर्य है कि राष्ट्र में अभी भी आप जैसे व्यक्ति है । इस मामले में आपकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है । ये वास्तव में आनंद का विषय है कि आप जैसा उच्च योग्यता प्राप्त इंजीनियर व टेक्नोलोजिस्ट बडे राष्ट्रीय प्रयोजन को बढावा देने में इतनी बडी रुचि रखता है ।"

श्री एम.एन. वेंकटचलैया
भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश और अध्यक्ष संविधान संशोधन समिति भारत सरकार – २००२

Scanned with ACE Scanner

प्रमुखीय लोकतंत्र

समय की माँग

जसवंत बी. मेहता

कब समय परिपक्व होगा जब कि ईमानदार व्यावसायिक/बुध्दिजीवीयों से गठित मंत्रीमंडल के द्वारा जिनको राजनीति में कोई निजी स्वार्थ न हो, हमारी प्यारी मातृभूमि शासित होगी ।

फोरम फॉर प्रेसिडेन्शीयल डेमोक्रेसी

बी १४५/१४६ मित्तल टॉवर नरीमन पोईन्ट मुंबई

हिलाने डुलाने का खेल

Scanned with ACE Scanner

भूमिका:

कई कमीयों की वजह से जनता का वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था की ओर से लगातार निराशा व असंतोष बढ़ रहा है परिणाम स्वरूप वर्तमान प्रजातंत्रीय प्रणाली की क्षमता व शुद्धता के बारे में जनता का विश्वास गंभीरता से नष्ट हो रहा है। ये मानी हुई हकीकत है कि हमारी वर्तमान राजकीय व्यवस्था ने ऐसे खुद का स्वार्थ साधनेवाले राजनेताओं की घृणित कौम को पैदा किया है जिन्होंने लोगों के कल्याण व हित को अनदेखा कर दिया है।

चुनाव में संदिग्ध धन संग्रह के नित्य नवीन तरीके, राजनीति का अपराधीकरण, राजनेताओं व सरकारी अफसरों का अनियंत्रित भ्रष्टाचार (जो अब आकाश छू रहा है), अंतरनिहित नियमों की अनुपस्थिति जिनके कारण विधायिका के मामलो में आवश्यक अभ्यास (होमवर्क) करने के लिए विधायक मजबूर हों। मंत्रीयों की बारंबार फेरबदल, राज्य व केन्द्र में सरकारों की लगातार अस्थिरता, जनता का विश्वास संपादन कर सके ऐसे नेताओं की कमी आदि के कारण वर्तमान व्यवस्था से लोगों का विश्वास डगमया गया है।

देश के बेहतर शासन के लिए हमारी वर्तमान संसदीय प्रणाली के एवज में यू.एस.ए., जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों के उदार व परिपक्व प्रजातंत्र के अध्ययन व विश्लेषण करने पर अपने देश के लिए प्रमुखीय लोकतंत्र ही कुछ संशोधनों के साथ उचित साबित होगा ऐसा विदित होता है।

इस पध्दती के कई फायदे हैं जिन्हे नकारा नहीं जा सकता जैसे कि इसकी स्थिरता, सर्वोच्च व्यावसायिकों की मंत्रीमंडल में सीधी नियुक्ती, मंत्री मंडल से संसद या विधान सभा को अलग करना और पक्ष पध्दति को विशेष प्रोत्साहन न करने की नीति, पार्टी व्हिप की अनुपस्थिति इन सबका महत्व कम नहीं आँका जा सकता इसके अतिरिक्त मेयर से लेकर राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिये किये जानेवाले सीधे चुनाव की प्रक्रिया जिसके कारण सुयोग्य और मेधावी व्यक्तियों का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व पद के लिये अधिक सुसज्ज रीति से उद्भव होना संभव होता है। हम अन्य नये सुधारों मे जर्मनी के वर्तमान संविधान में अपनायी गयी चुनाव पध्दति अर्थात राजनैतिक दलों के नियमन का कानून, शासन द्वारा चुनाव खर्च देना, पक्षों की विधायिका में लोकप्रियता न दर्शानेवाली वर्तमान पध्दति के अनुसार अधिक मत प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार को स्थान दिया जाता है के एवज में मिश्र परिमाण में प्रतिनिधित्व लाना जिसमें संसद की ५० प्रतिशत बैठकें राजनैतिक पक्षों के लिये आरक्षित की जाती हैं उसका अनुपात इन पक्षों को चुनाव में प्राप्त किये गये मतों के प्रतिशत के आधार पर तय किया जाता है।

दूर तक फैले हुए अनियंत्रित भ्रष्टाचार, २ जी स्पैक्ट्रम, राष्ट्र मंडल खेल व अन्य कई घोटालों की ओर हमारा ध्यान ले गया है और हमारे दिमाग को चकित कर दिया है बाद में अन्नाजी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान ने वो अग्नि जो प्रज्वलित होने की राह देख रही थी, उसकी चिनगारी का काम किया है। जब कि जनलोकपाल के आंदोलन के द्वारा लोकपाल

Scanned with ACE Scanner

को महत् ताकत देने का सोचा जा रहा है ये बात बहुत स्वागत योग्य है पर हमे ऐसी पध्दति लाने की कोशिश करनी होगी जो कि बीमारी को ही मिटा दे न कि उसके लक्षण का इलाज करे । बेहतर शासन हेतू आवश्यक परिवर्तन करने के लिये एक वैकल्पिक व्यवस्था को जनता के समक्ष स्पष्ट करना होगा ।

हमारी वर्तमान व्यवस्था में एक ईमानदार स्पष्टवादी प्रधानमंत्री तक मूक दर्शक बनकर अपने कुशासन के साथ दिमाग को चकित कर देनेवाले घोटाले जो कि लालची नेताओं द्वारा देश की खुली लूट है जब कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रो में प्रतिष्ठापात्र व्यक्ति जैसे कि श्री बीके नेहरु, श्री नानी पालखीवाला व श्री जे आर डी. टाटा ने राष्ट्रपति शासित प्रजातंत्र की पैरवी की है । इस संबंध में कोई भी संगठित सच्चे प्रयास नही किये गये है। वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था से निराश व हताश होकर कई चिन्तित नागरिको ने विभिन्न राजनैतिक पक्षो का निर्माण कर उन्हे पंजीकृत किया है दुर्भाग्यवश इन पक्षो के पास विचार करने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है । इस संबंध मे फोरम ही ऐसा अकेला पंजीकृत राजनैतिक दल है जिसके सुस्पष्ट घोषणापत्र में सुशासन हेतु प्रमुखशाही चालित प्रजातंत्र ही एकमात्र पध्दति है ।

जशवंत बी मेहता
संस्थापक व संयोजक
फोरम फॉर प्रेसिडेन्शीयल डेमोक्रेसी

Scanned with ACE Scanner

"येस प्रेसीडेन्ट" नामक लेख का संशोधित प्रारुप

"वन इंडिया वन पीपल" पत्रिका के जून २०११ के अंक में प्रकाशित

हमारे संविधान का निर्माण करने वाले महानुभावों द्वारा दीर्घ समय खर्च करके निर्मित किये गये संविधान की गणना विश्व के सबसे लंबे संविधान के रुप में की जाती है । इस संविधान में आपात काल को छोडकर प्रजा के मूलभूत अधिकारों की रक्षा सही रुप में की गई है परंतु सरकार की कार्यपध्दति के निर्माण में अल्प परिवर्तन को छोडकर ब्रिटिश पध्दति का कोरा अनुसरण मात्र है । ब्रिटेन के राजा के भांति हमने हमारे राष्ट्रप्रमुख को औपचारिक रुप में प्रमुख स्थान दिया है ।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजों के प्रति आदर भाव व उनसे परिचित होने के कारण उन्होंने प्रस्तुत कार्यप्रणाली अपनाई थी। प्रसिध्द कानूनविद श्री एम.सी. छागला ने कहा था संसदीय प्रजातंत्र की प्रणाली को पसंद करने के पीछे मुख्य कारण (1) स्वातंत्र के पहले केन्द्र व राज्यों में हमारी विधानसभाओं की कार्यवाही ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार होती थी और हम उस प्रणाली से भलीभांती परिचित थे और (2) स्वैच्छिक चुने गये एक मात्र व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान सोंपना हमें राजाशाही की याद दिलाता था।"

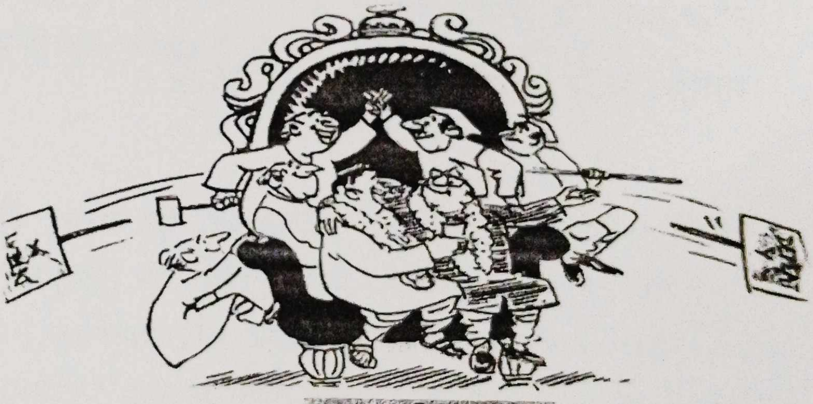

दुश्मन जिंदाबाद !!

सरकारी शासन के गिरते हुए स्तर व निरंतर बढते हुए भ्रष्टचार को देखकर अब समय आ गया है कि हम अपनी शासनप्रणाली पर विचार करें, परीक्षण करें और खुले दिमाग से संसार की अन्य प्रजातंत्रीय प्रणाली जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि के साथ हमारी प्रणाली की तुलना करें जब कि परिचितता के कारण हमने ब्रिटीश प्रणाली को अपनाया, सबसे बडा सवाल ये है कि अमेरिकन संविधान के निर्माता जिसमें से अधिकांश खुद ब्रिटिश थे फिर उन्होंने अलग शासन प्रणाली क्यों अपनाई? इस संदर्भ में अमेरिकन संविधान के निर्माण के अवसर पर हुआ विचार विमर्श का अभ्यास हमारे संविधान निर्माताओं के लिये बडा मार्गदर्शक हो सकता था । आज ब्रिटिश प्रणाली को ६० साल से अपनाने के बाद इस पर पुर्नविचार करने का समय आ गया है ।

अपने संविधान का निर्माण करते हुए अमेरिकन संविधान के निर्माताओं जिनमें अधिकांश खुद ब्रिटिश मूल के थे, उनको भय था कि अमेरिका जिसमें कि समय गुजरने पर युरोप के विभिन्न देश जैसे कि फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल आदि देशो की प्रजा स्थलांतर कर आने वाली थी इन सभी देशो की अलग सी राष्ट्रीय पहचान, अलग भाषा, संस्कृति और परस्पर हित संबंध के कारण वहाँ प्रायः बहुविध पक्षों का उद्‌भव होने की संभावना रहती और उन्हें ये भय

Scanned with ACE Scanner

ये बकवास होता जा रहा है । एक ऐसी संहिता करनी विकसित करनी होगी जिससे कोई भी सरकार कम से कम कुछ महिनों तक अपदस्थ न की जा सके ।!

था कि ऐसी अनेकविध पक्षो की बनी हुई सरकार संसदीय पध्दति से चलेगी तो वो अस्थिर अथवा कमजोर होने की पूर्ण संभावना रहेगी जिसे बहुधा राजनेता अपना निजी स्वार्थ साधने के लिये इस्तेमाल करेंगे और शायद स्वायत्तता की मांग भी करेंगे। इन सब संभावनाओं को ध्यान में रखकर उन्होंने एक अलग सी पक्षपध्दति पर जोर दिया जिसमें सरकार के कार्यकारी अधिकारी का चुनाव जनता सीधे करे और चुनाव के पश्चात सरकार की स्थिरता बनी रहे । पिछले ६० सालों के हमारे अनुभव ने उनकी इस भीति को सच कर दिया है । जब कि प्रारंभ में २७ वर्षो तक हमने एक ही पक्ष (कांग्रेस) को केन्द्र में व अधिकांश राज्यों में शासन करते देखा, पर समय गुजरने के साथ हमने अधिकांश राज्यों मे प्रांतीय/भाषाकीय/और जातीय आधार पर बहुसंख्य पक्षों का उद्‌भव होते देखा है जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना, आंध्रप्रदेश में तेलगु देशम, डी.एम.के. तामिलनाडू में, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, पंजाब में अकालीदल, नेशनल कांफ्रेन्स व पी.डी.पी. कश्मीर में, आसाम में आसाम गण परिषद, उडीसा में बीजू जनता दल, त्रिणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल में मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, नागालेंड मे नागालेंड पीपुल्स फ्रंट, मनीपूर पीपुल्स पार्टी मनीपुर में, महाराष्ट्र वादी गोमांतक पार्टी गोवा में, इसके अलावा जाति आधारित पक्ष जैसे कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज व समाज वादी पार्टी यु.पी. मे व बिहार मे राष्ट्रीय जनता दल।

पक्षों के आविर्भाव में राष्ट्रपति द्वारा संचालित लोकतंत्र का प्रभाव :

यह जानकर हमें विचित्र लगेगा कि अमेरिकन लोकतंत्र में हालांकि सरकार के सफल संचालन के लिये पक्ष पध्दति पर जोर नही दिया गया तो भी समय बीतते अमेरिकन शासन पध्दति में द्विपक्षीय पध्दति स्थापित हो गई है । कई राजनीति पंडित इसे इस शासन पध्दति का ही गुण मानते हैं और इसके समर्थन में ये दलील देते है कि इस आंतरिक गुण के कारण ये द्विपक्षीय पध्दति को बढावा देती है । राष्ट्रप्रमुख के चुनाव के लिये निर्वाचन मत का बहुमत मिलना चाहिये और जब तक कि एक या तो दो मजबूत पक्ष हों या चुनाव के पुर्वगठित समान मतवाले पक्षों का मेल न हो चुनाव में बहुमत मिलना असंभव होता है । अमेरिकन राष्ट्रप्रमुख के चुनाव के ढाँचे का अध्ययन ये स्पष्ट दर्शाता है कि छोटे पक्षों के उभर कर आने को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता । उदाहरणार्थ १९६८ के यु.एस. राष्ट्रप्रमुख के चुनाव में वर्णभेद में माननेवाले अल्बामा के राज्यपाल जार्ज वैलेस ने अमेरिकन स्वातंत्र पक्ष की स्थापना की थी व १३.७९ प्रतिशत लोकप्रिय मत पाये थे । पर आखरी परिणाम में इसका कोई खास असर नही पड़ा व

Scanned with ACE Scanner

उनका पक्ष जल्द ही ओझल हो गया। इसी प्रकार १९८० के राष्ट्रप्रमुख के चुनाव में प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले जॉन एन्डरसन जो रिपब्लिकन पक्ष में थे, ने अपने पक्ष से अलग होकर एक नया पक्ष स्थापित किया और वे पक्ष के उम्मीदवार के रुप में राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े थे । तब उनको कुल मत के ६.६ प्रतिशत मत मिले थे पर इस प्रतिशत का चुनाव के परिणाम पर खास असर नहीं हुआ । एन्डरसन ने स्वयं ही १९८४ के चुनाव में मतदाताओं को डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने की अपील की थी । अमेरिका की ऐसी परिस्थिती की हमारे देश के साथ तुलना करें तो हम देखेंगे कि कुल मत का नगण्य प्रतिशत प्राप्त करने वाले छोटे पक्ष भी हमारी पध्दति (संसदीय प्रणाली) में चुनाव के बाद (किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिले तो) किंग मेकर की भूमिका (हुकम के पत्ते) अदा कर सकते है । इसकारण छोटे पक्ष के अस्तित्व को हमारी पध्दति में प्रोत्साहन मिलता है और अंत में ऐसे पक्षों का निर्माण करनेवाले को अनुमोदन भी मिलता है । इसके इनेक उदाहरण दिये जा सकते है । हाल ही मे जो आखों के सामने आता है ऐसा उदाहरण श्रीमती जय ललिता का कहा जा सकता है । ५४२ सदस्यों की लोकसभा में उनके (अन्नाद्रमुक पक्ष के) मात्र १८ सदस्य ही थे । प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाय तो कुल सदस्यों के मात्र ३.५ प्रतिशत से भी कम सदस्य थे । श्रीमती जयललिता जिन्होने वाजपेयी की मिश्र सरकार १९९८-९९ मे समर्थन दिया था वे उस मिश्र सरकार की किंग मेकर की भूमिका निभाती रहीं और अपनी मर्जी के अनुसार शर्ते हाजिर करती रही और अन्त मे उस सरकार को गिराने मे कारणभूत रहीं जयललिता ने तब जो भूमिका निभाई थी उसको डी.एम.के. अब निभा रही है, जो कि २ जी स्पैक्ट्रम के १.७६ लाख करोड के घोटाले में परिलक्षित होती है । जब कि साफ सुथरी छवि वाले मनमोहनसिंग सिर्फ एक मूकदर्शक बने रहे और मिली जुली सरकार चलाने की मजबूरियाँ गिनाते रहे ।

फ्रांस इस बात का अत्युत्तम उदाहरण है कि राष्ट्रप्रमुख द्वारा संचालित सरकार का राजनीतिक दलों पर क्या असर होता है । उनके संसदीय प्रणाली के लोकतंत्र ने १९४६-१९५८ की सीमित अवधि में निरंतर अस्थायी सरकारें देखी। साथ ही नये पक्षो का अन्तहीन गठन व विद्यमान पक्षों के टूटने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती थी।

मै तुमसे अधिक इमानदार हूँ। तुम्हारे विरुध्द आठ भ्रष्टाचार के मामले है, जब कि मेरे खिलाफ सिर्फ छह है !

एक देश जो हमसे आकार में काफी छोटा है उस देश में १४ राजनैतिक दल व १९४६-१९५८ के १२ वर्षीय काल में २६ विभिन्न सरकारें देखी थी सन १९५८ मे प्रमुखीय लोकतंत्र अपनाने के बाद एक स्थायी सरकार बनी व राजनैतिक दलों की संख्या में निरंतर कमी होती रही है । जब

Scanned with ACE Scanner

कि पहले १४ राजनैतिक दलों का अस्तित्व था अब सिर्फ ४ प्रमुख राजनैतिक दल मौजूद हैं जो कि समय की मांग के मुताबिक द्विपक्षीय समीकरण बनाते है ।

राजनैतिक भ्रष्टाचार :

पिछले २० सालों में हमने देखा है कि सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिये ही सिध्दान्त विहीन पक्ष मिलजुल कर त्रिशंकू संसद व अस्थायी सरकारें बनाते रहे है । उपरोक्त समय के दौरान ७ लोकसभा चुनाव, ३ मध्यवर्ती चुनाव व विभिन्न पक्षों के मेलजोल से १० प्रधानमंत्री बने । जब कि भ्रष्टाचार हमेशा चिन्ता का विषय रहा है । मंत्री स्तर का भ्रष्टाचार सभी सीमाएं लांघकर अब आकाश छू रहा है । मिलेजुले पक्षों के समीकरण द्वारा सरकार को समर्थन देने के नाम पर ऐसे राजनैतिक पक्ष वास्तविक रुप में देश को लूटने चले आये हैं। इस बात की सत्यता २ जी स्पैक्ट्रम घोटाला दर्शाता है । इस घोटाले ने संपूर्ण देश की संस्कृति को दूषित करने के साथ ही साथ पुरे शासन के नैतिक बल पर विपरीत असर किया है ।

संस्कृत की प्रसिध्द् कहावत है– “यथा राजा तथा प्रजा” (जैसा राजा वैसी प्रजा) भ्रष्टाचार जब ऊपरी सतह से छनकर टपकता है। तब उसका असर समाज के ऊपर से निचले हर स्तर को हर प्रकार से दूषित कर देता है ।

कोई भी राजकीय पध्दति फिर चाहे वो संसदीय या प्रमुखीय लोकतंत्र हो या अधिनायकत्व या साम्यवाद हो ऐसी नही है कि जिसमें भ्रष्टाचार या सडाँध को पूर्ण रुप से दबा दिया जा सके । परंतु संसदीय लोकतंत्र की तुलना में प्रमुखीय पध्दति का लोकतंत्र जिसमें सामान्यतः मंत्रीयों की पसंदगी समाज के सर्वोच्च बुध्दिशाली वर्ग में से की जाती है, वहाँ भ्रष्टाचार की संभावना की मात्रा अवश्य कम हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों का निर्वाचन उनके स्वयं के क्षेत्र में किये गये कार्य जो सबकी नजर के सामने होते है, उनको लक्ष्य में रखकर होता है । इसके अलावा हमने देखा ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रीयों के कुकर्मो की तलाश ढकने का प्रयास होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्यों कि ये मंत्री राजकीय पक्षों के साथ अक्सर संयुक्त नही होते । जिससे राजनैतिक नेता स्वयं भी इन मंत्रीयों द्वारा किये गये कार्यो की अधिक तटस्थतापूर्वक समालोचना कर सकते है। अमेरिका द्वारा अपनाई गई प्रमुखीय पध्दति में संसद और मंत्रीमंडल के विभाजन के द्वारा एक दूसरे के ऊपर किये गये नियंत्रणो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । राष्ट्रप्रमुख के स्वयं के पक्ष के संसद सदस्य भी राष्ट्रप्रमुख या मंत्रीयों की जरा भी शह में आये बिना भ्रष्टाचार के किस्से उजागर करने में हिचकिचाते नहीं हैं ।

फ्रांस में भी संसद से बाहर के मंत्रीयों का चयन किया जाता है जहाँ कि अमेरिकन पध्दति की तरह मंत्रीयों को संसद मे उनकी बैठक से त्यागपत्र देना होता है । जर्मन संसद भी वहाँ के चांसलर (राष्ट्रप्रमुख) को वुन्डस्टेग (वहाँ की संसद) के बाहर से अपना मंत्रीमंडल बनाने की अनुमती देती है, जब कि वो खुद जर्मन संसद सदस्यों द्वारा बहुमत से चुनी जाती है । यहाँ तक कि जापान के वर्तमान संविधान के अनुसार “डाईट” (वहाँ की संसद) सर्वोच्च है पर प्रधानमंत्री को ये अधिकार है कि अगर वो चाहे तो लगभग आधे मंत्री मंडल के सदस्य संसद के बाहर से चुन सकता है ।

Scanned with ACE Scanner

लोकपाल बिल

४२ साल तक टाले जाने के बाद सरकार जनता के प्रचंड दबाव में लोकपाल बिल अब पारित करने पर मजबूर हो गई है जिससे कि लोकपाल एक स्वतंत्र अधिकारी के रुप में बिना किसी रुकावट प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रशासकीय अधिकारी या राजनेता के भ्रष्टाचार पर जाँच कर दंडात्मक कार्रवाई कर सके । हालाँ कि ये अन्ना हजारे के अनशन को जनता का मिला हुआ समर्थन और प्रचंड उत्साह से संभव हुआ है तो भी हमें ये नही भूलना चाहिये कि लोकपाल की नियुक्ती भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये रामबाण दवा नहीं है । भ्रष्टाचार का खात्मा और उसे न्युनतम करने के लिये एक ऐसी पध्दति लानी होगी जिससे कि ऊपर के स्तर पर ईमानदार व योग्य व्यक्तियों की आसानी से नियुक्ति की जाय और विधान सभा द्वारा प्रमुख और उनके मंत्रीमडल पर अंकुश और सन्तुलन की भूमिका निभाई जाय और इसके बावजूद भी अगर कोई अपराधी हो तो लोकपाल एक ऐसी व्यवस्था हो जो ऐसे अपराधी को पकड कर दंड देने का आखरी तरीका होना चाहिये ।

प्रमुखीय लोकतंत्र के बारे में भ्रम

प्रमुखीय लोकतंत्र के बारे में ये सामान्य सा भ्रम है कि ये तानाशाही को बढावा देगा कोई भी प्रजातंत्रीय या तो संसदीय प्रणाली हो, या राष्ट्रप्रमुख द्वारा संचालित प्रणाली तानाशाही का उद्भव होना इस बात पर निर्भर करता है कि सारी शासन पध्दति के ऊपर अंतरनिहित अंकुश व सन्तुलन की प्रक्रिया कैसी है । ७ साल के अल्पकाल (१९३२- १९३९) में जर्मनी में "थर्ड रीचस्टेग" (१९२०-१९३९) के दौरान हिट्लर ने तब के संसदीय लोकतंत्र को धोखा देकर तानाशाह के सभी अधिकार हासिल कर लिये थे । श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में संसदीय लोकतंत्र को आपात्काल लगाकर (तानाशाही शासन में) तब्दील कर दिया था । इस आपातकाल में पास किया गया ४२ वे संविधान संशोधन तानाशाही की तरफ कदम बढाना था क्यों कि इसमे संसद को संविधान की धारा ३६८ में संशोधन करने का अधिकार दे दिया था जिसके तहत संविधान की किसी भी धारा में बदलाव लाया जा सकता था जिसे किसी भी तरफ से न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती थी । सौभाग्यवश यह संशोधन जनता दल के शासन के दौरान खंडित कर दिया गया ।

सरकारी शासन विभाग, विधायिका व न्यायपालिका ये सरकार के ३ प्रमुख हिस्से होते हैं । अगर विस्तार से देखें तो सरकार का शासन प्रधानमंत्री और उनका मंत्रीमंडल राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यीय स्तर पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीमंडल द्वारा होता है । प्रमुखीय लोकतंत्र के रुप में सच्चा लोकतंत्र लाने के लिये व नियंत्रण व संतुलन के सिध्दान्त के सही अमल के लिये कार्यकारी प्रमुख और उसके मंत्री मंडल व विधायिका का अलग विश्लेषण आवश्यक होगा। इसका मतलब है कि विधायिका को कार्यकारिणी अर्थात मंत्रीमंडल का हिस्सा नहीं बनना होगा। प्रमुखीय लोकतंत्र की शासन पध्दति में अमेरिका और फ्रांस द्वारा अपनायी गई पध्दति एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है कि जिसमे कार्यकारिणी और विधायिका एक दूसरे पर नियंत्रण व संतुलन बनाये रखते हैं । एक तरफ राष्ट्रप्रमुख को ये अधिकार दिया गया है कि

Scanned with ACE Scanner

वो मंत्रीमंडल में सर्वोत्तम गुणी व्यक्तियों को चुन ले वहीं उसके लिये ये आवश्यक होगा कि वो मंत्रीमंडल की सभी नियुक्तियों के पूर्व विधान सभा (सीनेट) की संबंधित समितीयों की सहमति प्राप्त कर ले 'सीनेट' का इन नियुक्तियों से कोई स्वार्थ नही सधेगा क्योंकि कोई भी "सीनेटर" या निम्नसदन के सदस्य मंत्री मंडल में शामिल नही हो सकते हैं। इधर संसद द्वारा राज्य स्तर में विधान सभा के सभी सदस्यों को दलगत नितियों से अलग किसी भी विधेयक पर अपना मत देने का पूर्णाधिकार दिया गया हे । अमेरिकन प्रजातंत्र में "व्हिप" नामक कोई शब्द नहीं है व संसद सदस्य एक मजबूत समिति पध्दति द्वारा सभी प्रस्तावित विधेयकों का निष्पक्ष व व्यावसायिक विश्लेषण कर सकते हैं ।

इस लेख का समापन करते हुए डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर ने जो १९४७ में संविधान निर्माण सभा में ज्ञापन दिया था वो आज भविष्यवाणी प्रतीत होती होती है –
"जातियों व धर्मो में संघर्ष के कारण भारत की विधान सभाओ में बहुसंख्य राजकीय पक्ष और दल बन जायेंगे । अगर ऐसा होता है यह संभव ही नही अवश्यमेव होगा कि प्रजातंत्र में विधान सभा में विरोध मत के कारण शासक पक्ष को त्यागपत्र देना पड़े । भारत को डॉवाडोल शासन झेलना पड़ेगा । बड़ी आसान बात होगी इन दलों के लोग वारंवार एक मामूली से कारण पर इकठ्ठे या अलग हो जॉय और सरकार को गिरा दें । इसप्रकार लगातार सरकारों के गिरने के कारण अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी । अमेरिकन शासन पध्दति एक ऐसी पध्दति है जो कि समानान्तर रुप से एक उत्तम प्रकार की सरकार हेतु जिम्मेदार प्रजातांत्रिक रीति है ।"

यहॉं श्री अरुण शौरी की किताब 'दी पार्लियामेन्टरी सिस्टम', २००७ के संस्करण के पृष्ठ १८ से उद्घृत करता हूँ जो सामयिक है :
जब कि हममें से अधिकांश डा. आम्बेडकर को हमारे संविधान का निर्माता मानते हैं उन्होने स्पष्ट शब्दों मे इस बात को अस्वीकार किया था । २ सितंबर १९५३ को उन्होने राज्यसभा में कहा था – "मान्यवर, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं मैने संविधान का निर्माण किया है । पर मैं आज ये कहने को तैयार हूँ कि मै इसे जला देने वाला प्रथम व्यक्ति होऊंगा । मुझे ये नही चाहिये, ये किसी के लिये भी योग्य नही है ।" ये निश्चित समझ लीजिये कि अगर डा. आम्बेडकर उस पध्दति के प्रदर्शन देखने को जीवित रहे होते जिस पध्दति ने जिस प्रकार के व्यक्ति विधान सभाओं में और मंत्रीमंडल में प्रदान किये हैं तब वो अपने उस समय कहे हुए विचारों को व्यवहार में ले आते ।

– **जशवंत बी. मेहता**

लेखक प्रसिध्द आर्किटेक्ट व कंसल्टिंग इंजीनियर हैं । उन्होने अमेरिका से सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की हैं, वे "फोरम फॉर प्रेसिडेन्सीयल डेमोक्रेसी" के संस्थापक व संयोजक हैं उन्होने प्रस्तुत विषय में "कवेस्ट फॉर ए बेटर डेमोक्रेटिक आल्टर नेटिव" व "इलेक्टोरल रिफार्मस" और अन्य किताबें लिखी हैं । भारत के अन्य कई ज्ञानी प्रबुध्द लोगो की तरह, लेखक का पिछले ४ दशकों से वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था की आंतरिक कमीयों और दिन प्रतिदिन गिरती हुई शासन व्यवस्था और बढ्ते भ्रष्टाचार इत्यादी से मोहभंग हो गया है । उनके इस मोहभंग की वजह से अपने विभिन्न व्यवसायों में व्यस्त होने पर भी उन्होने वर्तमान व्यवस्था का और उसके सुयोग्य विकल्प किस शासन पध्दति से प्राप्त हो उसके लिये गहराई से अध्ययन किया है ।

Scanned with ACE Scanner

प्रश्न : वर्तमान संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति शासन वाली सरकार लाना क्या संभव होग ?

उत्तर : प्रस्तावित विकल्प को अपनाने के लिये वर्तमान संविधान में परिवर्तन करना जरुरी होगा । लेखक के मत से इस परिवर्तन के लिये संविधान की धारा ३६८ की दूसरी श्रेणी मे कुछ संशोधन होना आवश्यक है ।

संसद सदस्यो को दो तिहाई बहुमत से इसे पारित करना होगा इस संशोधन से संविधान के मूल ढाँचे मे कोई परिवर्तन नही होगा । जिसमे जनता के मूलभूत अधिकार व न्यायप्रणाली के स्वातंत्र शामिल है ।

इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये सभी समानान्तर विचारधारा वाले व्यक्तियों जो कि इस बारे में आश्वस्त हैं कि वर्तमान शासन प्रणाली को बदल कर बेहतर प्रजातंत्रीय पध्दति के लिये राष्ट्रप्रमुख द्वारा संचालित शासन ही बेहतर है, को इस हेतू मिलकर प्रमुख राजनीतिक दलो पर ये दबाव लाना आवश्यक है । हालाँकि ये प्रबल संभावना है कि बेहतर प्रजातंत्रीय प्रणाली में परिवर्तन के लिये किये गये एकजुट प्रयत्न को ऐसे संबंधित राजनीतिज्ञों का और राजनैतिक पक्षो के अपार विरोध का सामना करना पडे, जिनको कि वर्तमान शासन पध्दति को चालू रखना अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के लिये उपयुक्त लगता है । राष्ट्रपति द्वारा संचालित प्रजातंत्रीय शासन की वैकल्पिक पध्दति उन्हे मंत्री पद व अन्य लाभ के पदों से वंचित कर देगी जिसका उन्हें स्वार्थ साधन के लिये उपभोग करने की आदत पड गई है । ये नवीन पध्दति पक्षांतर की निकृष्ट पध्दति का अंत कर देगी । ये नवीन पध्दति वर्तमान पध्दति की उपज है लेकिन इस परिवर्तन को विभिन्न मत रखनेवाले व सही सोच वाले देशभक्त भारतीय जिन्हे वर्तमान भारतीय व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई निजी स्वार्थ न हो ऐसे लोगो को मिलकर ये परिवर्तन लाना होगा । इस आवश्यक बदलाव को लाने के लिये ये आवश्यक है कि बडी संख्या मे जनता को इसके बारे मे अवगत कराने के लिये एक ऐसा आंदोलन चलाया जाय जिससे जनजन इस बारे मे आश्वस्त हो जाय । अंकुश व संतुलन युक्त राष्ट्रपति शासन प्रणाली ही देश हित में है । एक ऐसा राजनैतिक दल जिसका मूल लक्ष्य राष्ट्रपति संचालित प्रजातंत्रीय शासन पध्दति का निर्माण होगा व जिसके घोषणा पत्र में ऐसी प्रणाली की स्थापना हेतू एक स्थापित संगठन के निर्माण की बात होगी जो कि भविष्य में ऐसा परिवर्तन ला सके ।

'सेक्शन २९ ए ऑफ दी रिप्रजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट' १९५१ के अंतर्गत पंजीकृत होने पर ऐसे पक्ष को कोई भी व्यक्ति किंवा कंपनी के दान सेक्शन ८० जी.जी.सी. ऑफ आई. टी. एक्ट एवं सेक्शन ८० जी.जी.बी. ऑफ आई. टी. एक्ट के तहत क्रमानुसार आयकर मुक्त रहेंगे । जिससे राष्ट्रव्यापी जन अभियान के संचालन हेतु आवश्यक धन संचित होना आसान होगा ।

"प्रेसिडेन्शीयल डेमोक्रेसी - दि नीड ऑफ दि अवर" (कुल पेज ७१) की संपूर्ण प्रति हमारी वेबसाईट www.presidentialdemocracy.org पर देखी जा सकती है ।

Scanned with ACE Scanner

अंतिम पृष्ठ :

फोरम सच्ची प्रमुखीय लोकतंत्र की शासन पध्दति के लिये समर्पित है और चुनाव प्रणाली में निम्नलिखित आवश्यक संशोधन को समर्थन देता है :-

(1). राष्ट्रीय व राज्यीय स्तर पर सरकार के मुख्य प्रशासकों का सीधा चुनाव जो क्रमशः राष्ट्रप्रमुख, राज्यपाल व मेयर के नाम से जाने जाते हैं।

(2). सरकार के सभी मुख्य प्रशासक निश्चित समय तक पद पर रहेंगे और उनके अस्तित्व के लिये विधायकों पर अवलंबित नही होंगे।

(3). शासन (याने कि मंत्रीमंडल) की नियुक्ति विधानसभा के सदस्यों से अलग रहेगी । जिससे सभी मुख्य प्रशासको को उत्तम प्रामाणिक लोगो को अपनी टीम में लेने का अवसर प्राप्त हो सके ।

(4). शासन, विधायिका व न्यायाधीशों के लिये निरीक्षण व संतुलन की पध्दति का अमल होना चाहिये और न्यायालय को ये अधिकार होगा कि वे जनता के मूलाधिकारों को प्रभावित करनेवाले प्रत्येक विधेयक का पुर्ननिरीक्षण कर सकें । विधान सभाओ में अपराधी तत्वो के प्रवेश को रोकने के लिये ऐसे अपराधीयों के मामलों का न्यायालय में रोज सुनवाई कर फैसला कर देना ।

(5). किसी भी शासन प्रमुख को चाहे वो राज्य में हो या केन्द्र में हो, दो बार से अधिक एक पद पर रहने को नहीं मिलेगा ।

(6). एक ऐसी विधायिका जहाँ विधायक एक मजबूत समिति पध्दति का गठन करेंगे जिससे कि प्रस्तावित विधेयक का बिना किसी पक्षपात के एक व्यावसायिक तरीके से विश्लेषण किया जा सकेगा ।

(7). उम्मीदवारों के नामांकन की मौलिक पध्दति जिससे दल के सदस्य गुप्त मतदान द्वारा सदस्यों का चयन कर सकें जहाँ कि उनके पक्ष के नेताओं का सदस्यो के चयन में कोई हस्तक्षेप नही होगा ।

(8). चुनाव खर्च में राज्य द्वारा राजकीय कोष से नियमन के साथ राजकीय पक्षो को आर्थिक मदद प्राप्त होगी जिससे कि निजी स्तोत्रों से उनका धन ग्रहण करना समाप्त नही हो तो कम से कम न्यूनतम हो जाय ।

(9). विधानसभा में मिश्रित समानता वाले प्रतिनिधित्व को लागू करना । विधानसभा में चुनाव में अधिक मत प्राप्त कर चुनकर आने की प्रक्रिया को ५० प्रतिशत बैठक देना व शेष ५० प्रतिशत बैठक पक्षो को चुनाव में प्राप्त मतो के प्रतिशत के आधार पर देना । मत पत्र के दो भाग होंगे एक उम्मीदवार के चयन के लिये और दुसरा पक्ष के चयन हेतु ।

(10) राजकीय पक्षों के नियमन के लिये एक ऐसा कानुन बनाना जो कि सर्व राजनैतिक पक्षो को धन व संपत्ति के स्त्रोतों के बारे मे उत्तरदायी बनाये व प्रतिवर्ष लेखा परिक्षित हिसाब प्रकाशित करे साथ ही पक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से चला कर आश्वस्त करे ।

Scanned with ACE Scanner

दि फोरम फॉर प्रेसिडेन्शीयल डेमोक्रेसी धारा २९ अे रिप्रेजेन्टेटिव ऑफ दि पीपुल्स एक्ट १९५७ के अंतर्गत पंजीकृत राजनैतिक पक्ष है जो कि प्रमुखीय लोकतंत्र की स्थापना हेतू कटिबध्द व इस हेतू राष्ट्र चेतना को जागृत कर रहा है । जो कि एक बेहतर व स्थिर प्रजातंत्रीय पध्दति का विकल्प होने के कारण वर्तमान की भ्रष्टाचारी व अस्थिर पध्दति का जबाब होगा । इस हेतु फोरम भारत में प्रमुखीय लोकतंत्र जो कि एक सच्ची प्रजांतत्रीय शासन प्रणाली है के जनप्रसार हेतु प्रक्रिया शुरु कर रहा है, इस प्रणाली में निरीक्षण व सन्तुलन की पध्दति होगी जो कि देश की वर्तमान स्थिति के अनुरुप होगी । हमारे देश की अधिकांश जनता अपने आप को हताश व निराश पाती है जब कि वो अपने आपको असंतोषजनक घटनाओं मे घिरा पाती है जो कि वर्तमान राज व्यवस्था का परिणाम है । वैसे ज्यादातर लोगों को ये प्रतीत होता है कि इस विकट स्थिति से बाहर निकलने का कोई संतोषजनक रास्ता नही दिख रहा । इस अंधकार पूर्ण परिस्थिति से बाहर निकालने हेतु फोरम एक ऐसा मार्गदर्शक प्रकाश बनकर आया है, जिसमें एक सच्ची प्रजांतत्रीय प्रमुखीय शासन पध्दति में उचित संशोधन किये जायेंगे जैसा कि लघुपुस्तिका मे दर्शाया गया है ।

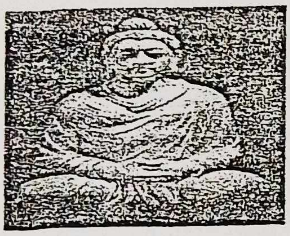

भगवान बुद्धने २५०० वर्ष पूर्व क्या कहा था

अगर किसी राज्य का महत्वपूर्ण मंत्री अपने कर्तव्य को नकारता है, स्वयं के लाभ के लिये काम करता है या घूस स्वीकार करता है, इससे जनता की नैतिकता का तीव्रता से पतन होगा। लोग एक दूसरे को धोखा देंगे, मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति पर हमला करेगा, कुलीन पुरुष आम आदमी से दुर्व्यवहार करेंगे किंवा धनी व्यक्ति गरीबों का गैरलाभ लेंगे, और किसी के लिये भी न्याय नहीं होगा; बुराई प्रचुर मात्रा में होगी व कष्ट बढ़ जायेंगे।

इन परिस्थितीयों में वफादार मंत्रीगण जन सेवा से निवृत्त हो जायेंगे, उलझन के डर से बुद्धिमान व्यक्ति मौन बने रहेंगे, सिर्फ चापलूस लोग सरकारी पदों पर आसीन होंगे, और वे जनता के कष्ट का खयाल किये बिना अपनी राजनीतिक सत्ता को स्वयं को समृद्ध बनाने में लगायेंगे। इस स्थिति में सरकार की सत्ता बेअसर हो जाती है और उसकी सही नीतियां भी बर्बाद हो जाती हैं।

ऐसे अनैतिक अफसर, जनता की खुशीयों के चोर हैं, पर वो चोरों से बदतर हैं क्योंकि वे शासक व जनता दोनों से ही धोखा करते हैं और राष्ट्र की परेशानीयों का सबब होते है। राजा को ऐसे लोगों को निकाल फेंकना चाहिये व उनको दंड देना चाहिये।

(उद्धरण – बुक्यो डेन्डो क्योकाई की किताब – "दि टीचिंग ऑफ बुद्धा" से साभार)

बुद्ध के उपदेशों का भारतीय जनमानस पर गहरा असर था इसमें शक नहीं है, उनके निर्वाण के बाद भी कई शताब्दीयों तक तत्कालीन शासकों पर उनका प्रभाव था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस दौरान भारत में स्वर्णयुग था।

Scanned with ACE Scanner